

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2652  
जिसका उत्तर मंगलवार 01 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

**सीएनजी वाहनों में विस्फोट**

**2652. श्री डी एस राठौड़:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में सीएनजी वाहनों के विस्फोट संबंधी कोई डाटा सरकार के पास है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार सीएनजी किट की जाँच हेतु नियमों/शर्तों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री  
(श्री बाबुल सुप्रियो)**

**(क) और (ख):** महोदया (मैडम), ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते। फिर भी 'सीएनजी' सिलेण्डर की आग से बचाव के लिए सभी सीएनजी वाहनों को प्रत्येक 3 वर्ष उपरान्त सीएनजी रिसाव से संबंधित जांच करवानी होती है।

**(ग):** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 115(बी) जो कि उच्च दाब वाली प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाहनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानकों से संबंधित है, में यह उल्लेख है कि सीएनजी किट के अनुमोदन के उद्देश्य हेतु निर्धारित तरीके से वाहन की इंजन क्षमता पर आधारित नियम 126 के अंतर्गत किसी भी प्राधिकृत जांच (परीक्षण) एजेन्सी से किट निर्माता या आपूर्तिकर्ता को प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। सीएनजी वाहनों, किट पुर्जों, जिनमें उनका संस्थापन शामिल है, के लिए जांच प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा-निर्देश एआईएस 024 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुरूप होंगे, जब तक कि इसके अनुरूप (तत्स्थानी) बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता। इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों पर ओ.ई. फिटमेन्ट और रिट्रोफिटमेन्ट के लिए टाइप स्वीकृति की जिम्मेदारी क्रमशः वाहन विनिर्माता और किट विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता की होगी। 'रिट्रोफिटमेन्ट' हेतु सीएनजी किट की टाइप स्वीकृति ऐसे अनुमोदन के जारी होने की तारीख से 3 वर्ष के लिए वैध होगी और इसका नवीकरण एक बार में 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। इस्तेमाल में लाए जा रहे वाहनों में सीएनजी किटों का रिट्रोफिटमेन्ट किट विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता या वाहन विनिर्माताओं द्वारा प्राधिकृत कार्यशालाओं (वर्कशॉप) द्वारा किया जाना चाहिए, जैसी भी मुमकिन हो। परीक्षण एजेन्सी किटों की प्राप्ति की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर जांच (परीक्षण) पूरी करेगी और अनिवार्य प्रमाण-पत्र देगी। किट विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता संबंधित मॉडलों, जिन पर कोई भी स्वीकृत किट संस्थापित की जानी है, में सीएनजी किट के रिट्रोफिटमेन्ट हेतु रूपरेखा पुनरीक्षण और स्वीकृति के वास्ते परीक्षण एजेन्सी को उपलब्ध करवाएगा। परीक्षण एजेन्सियों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह विशेष रूप से उन मॉडल और उनके वेरिएंट को इंगित करें जिन पर प्रमाण-पत्र वैध है।

\*\*\*\*\*